



दिल्ली विकास प्राधिकरण  
चिकित्सा कक्ष, जी-ब्लॉक (पूर्व में प्रेस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था),  
प्रथम तल, विकास सदन  
आईएनए, नई दिल्ली - 110023



संख्या एफ1 (जीएसटी) 2024/एमसी-I/मेडिकल/1145

दिनांक: 30.05.2024

## शुद्धिपत्र

“चिकित्सा लाभार्थियों को उनके दावे प्रस्तुत करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश” से संबंधित एफ एंड ई परिपत्र संख्या 01/2024 दिनांक 11.01.2024 के आंशिक संशोधन में बिंदु संख्या 1 पर निम्नलिखित को रखा गया है

- 1) 10,000/- रुपये से अधिक के कोई भी मेडिसिन बिल का भुगतान नियमित बैंकिंग चैनलों अथवा ऑनलाइन/डिजिटल भुगतानों के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। भुगतान का प्रमाण बिल का हिस्सा होना चाहिए, जिसे ओपीडी/स्पेशल क्रॉनिक/पोस्ट ऑपरेटिव बीमारियों के संबंध में प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

परिपत्र के अन्य विषय यथावत रहेंगे।

हस्ता0/-  
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित : -

1. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य के विशेष कार्याधिकारी
2. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य के निजी सचिव
3. मुख्य लेखाधिकारी, प्रधान आयुक्त (पी/एलएम), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार, आयुक्त (एलएम/एलडी), आयुक्त (सिस्टम), आयुक्त (आवास), आयुक्त (खेल) के निजी सचिव
4. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव, आयुक्त (योजना) के निजी सचिव, मुख्य वास्तुकार के निजी सचिव
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
6. सभी निदेशक
7. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी, पीएओ (ईडब्ल्यू)
8. सभी नोटिस बोर्ड

हस्ता0/-  
मुख्य लेखा अधिकारी